

34

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 12017 & 1074-4-17

अखिलेश सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह,  
निवासी- ग्राम सांझा तहसील चुरहट  
जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. गिरधर सिंह पुत्र तिलकराज सिंह,
2. शेर बहादुर सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह,
3. कौशल सिंह, पुत्र अमरनाथ सिंह,
4. जय सिंह पुत्र शंकर सिंह,
5. लव कुमार सिंह, पुत्र शंकर सिंह,  
समस्त निवासीगण ग्राम ग्राम सांझा  
तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

---असल अनावेदकगण

6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र लल्ला सिंह,
7. गोकुल सिंह पुत्र लल्ला सिंह,
8. नारेन्द्र सिंह पुत्र लल्ला सिंह,
9. मुनेश सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह,
10. जीवेश सिंह पुत्र नारेन्द्र सिंह, समस्त  
निवासीगण- ग्राम सांझा तहसील  
चुरहट जिला सिंधी (म.प्र.)

--तरतीवी अनावेदकगण

न्यायालय उपस्रण्ड अधिकारी महोदय चुरहट

जिला-सीधी, द्वारा प्रकरण क्रमांक

11/अपील/15-16 में पारित आदेश पारित दिनांक

30/03/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,

1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

दिनांक 3.4.17 को  
श्री विनोद भागीव का  
द्वारा खर्चद्वारा

क

3.4.17

50

विनोद भागीव  
ग्वालियर  
03-04-2017

3


## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1074-दो/2017

जिला सीधी

अखिलेश विरूद्ध गिरिधर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह उपखण्ड अधिकारी चुरहट जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-03-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p> (आर.के. जैन) सक्ष्य</p> <p>01/3/19</p>